

प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक - 01.08.2026

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 124/2025 धारा 64(1)/74/351(3)/
351(4)/152(2) बीएनएस 66 ई आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमशाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 124/2025 धारा 64(1)/74/351(3)/351(4)/152(2) बीएनएस 66 ई आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. अभिषेक वाल्मीकि पुत्र सुरेश निवासी मोहल्ला मीरा दरवाजा अंबेडकर नगर बाजिदपुर कस्बा व थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 14.06.2025 को वादिनी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ अश्लील हरकत करना तथा विडियो बनाने का विरोध करने पर मार-पीट करना तथा जान से मारने की धमकी देना तथा फेसबुक पर विडियो वायरल कर देने के सम्बन्ध में थाना शमशाबाद पुलिस पर मु0अ0सं0 124/2025 धारा 64(1)/74/351(3)/351(4)/115(2) बीएनएस व 66 ई आईटी एक्ट बनाम अभिषेक वाल्मीकि पुत्र सुरेश निवासी मोहल्ला मीर दरवाजा कस्बा व थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ आदि 02 नफर पंजीकृत कर कोतवाली कायमगंज को विवेचना प्राप्त हुई। कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा विवेचना के क्रम में अभियुक्त अभिषेक वाल्मीकि उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण अभियुक्त - अभियुक्त अभिषेक वाल्मीकि उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान जुर्म से इन्कार करते हुये अपनी सफाई जरिये अधिवक्ता माननीय न्यायालय में देना बताया

अभियुक्त अभिषेक वाल्मीकि उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मुकदमा अपराध संख्या 124/2025 धारा 64(1)/74/351(3)/351(4)/115(2) बीएनएस व 66 ई आईटी एक्ट थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

01. प्र0नि0 श्री विनोद कुमार शुक्ल
02. निरीक्षक श्री बाढू यादव
03. हे0का0 रत्नेश कुमार
04. हे0का0 मुकेश कुमार
05. का0 युवराज

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 01.08.2026



कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 01.08.2026 को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक युवक के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 152/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम वसीम पुत्र नईम निवासी मोहल्ला नौलक्खा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण :-

01. एक अवैध तमंचा
02. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त वसीम उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 152/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़

मीडिया सेल फतेहगढ़।





फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 01.08.2026



कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 18 लच्छा चाइनीज मांझा सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा दिनांक 01.08.2026 को चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन के दौरान एक युवक के कब्जे से 18 लच्छा चाइनीज मांझा बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 201/2026 धारा 125/271 बीएनएस बनाम सौरभ पुत्र वेदराम निवासी मोहल्ला दलवीर खां थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।



बरामदगी का विवरण :-

01. 18 लच्छा चाइनीज मांझा

अभियुक्त सौरभ उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 201/2026 धारा 125/271 बीएनएस कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

मीडिया सेल फतेहगढ़।